निर्णय ब इजलास राजन विशाल आई.ए.एस. जिला कलक्टर एवं जिला मजिस्ट्रेट जयपुर

प्रकरण संख्या : 165/2021 (मुन्तकिल प्रार्थना पत्र)

स्वाति असवाल पुत्री श्री बृजेश असवाल जाति खटीक निवासी मोहल्ला खटीकान, ग्राम मनोहरपुर तहसील शाहपुरा जिला जयपुर हाल निवासी 5 ग 11 हाऊसिंग बोर्ड, शास्त्री नगर, जयपुर। जरिये मुख्त्यारआम भीष्म असवाल पुत्र श्री बृजेश असवाल जाति खटीक निवासी 5 ग 11 हाऊसिंग बोर्ड, शास्त्री नगर, जयपुर ।

प्रार्थी

बनाम

1. जगमाल असवाल पुत्र श्री मगाराम असवाल जाति खटीक निवासी मनोहरपुर, तहसील शाहपुरा, जिला जयपुर।
2. जगदीश पुत्र नारायण
3. ज्याना पत्नी नारायण
4. तुलसीदास पुत्र नारायण
5. बनवारी पुत्र नारायण
6. रामप्यारी पुत्री नारायण
7. शारदा पुत्री नारायण
8. हरिनारायण पुत्र नारायण

   समस्त जाति रेगर, निवासी मनोहरपुर, तहसील शाहपुरा, जिला जयपुर।
9. बालमुकन्द पुत्र सुख जी जाति ब्राह्मण निवासी मनोहरपुरा, तहसील शाहपुरा, जिला जयपुर।
10. राजस्थान सरकार (भू–धारक) जरिये तहसीलदार शाहपुरा, जिला जयपुर ।
11. उप पंजीयक, उप पंजीयक कार्यालय, शाहपुरा, जिला जयपुर ।
12. सहायक कलक्टर, (फास्ट ट्रैक) शाहपुरा, जिला जयपुर ।

अप्रार्थीगण

प्रार्थना पत्र अन्तर्गत धारा 235 आर॰टी॰ एक्ट 1955 बाबत सहायक कलक्टर (फास्ट ट्रैक) शाहपुरा के समक्ष विचाराधीन प्रकरण संख्या 21/2020 व उनवानी जगमाल असवाल बनाम जगदीश व अन्य को अन्य सक्षम न्यायालय में मुन्तकिल किये जाने बाबत।

उपस्थितः–

1. श्री भीष्म असवाल अधिवक्ता प्रार्थी की ओर से ।
2. श्री पी॰ सी॰ भारती अधिवक्ता अप्रार्थी संख्या 1 की ओर से ।

निर्णय दिनांक 11.04.2022

1. संक्षेप में मुन्तकिल प्रार्थना पत्र के तथ्य इस प्रकार है कि सहायक कलक्टर (फास्ट ट्रैक) शाहपुरा के समक्ष प्रकरण संख्या 21/2020 ब उनवानी जगमाल असवाल बनाम जगदीश व अन्य विचाराधीन है। जिसमें पीठासीन अधिकारी से न्याय मिलने में शंका जाहिर कर उक्त प्रकरण को अन्यत्र सक्षम न्यायालय में अन्तरण किये जाने का अनुरोध किया है।
2. प्रार्थना पत्र प्रस्तुत होने पर दर्ज रजिस्टर किया गया। सहायक कलक्टर (फास्ट ट्रैक) शाहपुरा से बिन्दूवार टिप्पणी तलब की गई। अप्रार्थी संख्या 1 की ओर से अधिवक्ता श्री पी.सी. भारती ने उपस्थित हो कर वकालतनामा पेश किया ।
3. बहस उभय पक्ष सुनी गई।
4. प्रार्थी अधिवक्ता ने प्रार्थना पत्र में अंकित तथ्यों को दोहराते हुये कथन किया कि मिन प्रार्थी ने उक्त विचाराधीन वाद में अपने आपको पक्षकार बनाये जाने हेतु एक प्रार्थना पत्र अन्तर्गत आदेश 1 नियम 10 सी. पी. सी. का यह कथन करते हुये प्रस्तुत कर रखा है कि वादी ने प्रतिवादीगण के विरुद्ध जो दावा पेश किया है उसमे प्रतिवादी संख्या 8 मृतक पक्षकार है, परन्तु मृत्यु से पूर्व उसने एक रजिस्टर्ड वसीयत अपने पुत्र मामराज के नाम निष्पादित कर दी थी, जिसे मिन प्रार्थी ने उसके हिस्से की जमीन जरिये रजिस्टर्ड विकय पत्र दिनांक 05.02.2020 के माध्यम से खरीद कर मनबट हिस्से पर कब्जा प्राप्त किया। इसलिए मिन प्रार्थी को आवश्यक पक्षकार बनाया जाये। मिन प्रार्थी द्वारा उक्त प्रार्थना पत्र प्रस्तुत करने के पश्चात वादी जगमाल असवाल ने तारीख पेशी दिनांक 14.10.2021 के दिन राजस्व कैम्प में सरे आम कहा कि मैं वो ताकत हूं कि मेरा केस मरे हुये आदमी के खिलाफ भी डिक्री होता है और विश्वास नहीं हो तो राजस्व कैम्प में होने वाला फैंसला देख लेना। वादी जगमाल असवाल के उपरोक्त व्यवहार/बातचीत से यह जाहिर है कि वह राजस्व कैम्प में पीठासीन अधिकारी से मिला हुआ है, इसलिए प्रकरण को राजस्व कैम्प में निर्णित नही करने का आदेश दिये जाते हुए इस प्रार्थना पत्र में वर्णित राजस्व वाद को अन्य किसी सक्षम क्षेत्राधिकार रखने वाली अदालत में ट्रान्सफर करवाने हेतु यह प्रार्थना पत्र पेश किया जा रहा है। अतः उक्त उनवानी प्रकरण को अन्य सक्षम न्यायालय में मुन्तकिल किये जाने का आदेश फरमावें।
5. अप्रार्थी संख्या 2 के सुयोग्य अधिवक्ता ने उक्त तर्को का खण्डन करते हुये दलील प्रस्तुत की कि प्रार्थी अधीनस्थ न्यायालय में विचाराधीन प्रकरण में पक्षकार नही है। प्रार्थी ने अभी आदेश 1 नियम 10 सी पी सी बाबत पक्षकार बनाये जाने का प्रार्थना पत्र पेश किया है, जो लम्बित है। जब तक प्रार्थी मामले में पक्षकार नहीं बन जाता, तब तक प्रार्थी को मुन्तकिल प्रार्थना पत्र पेश किये जाने का कोई अधिकार नहीं है। अतः मुन्तकिल प्रार्थना पत्र खारिज फरमावें।
6. उभय पक्ष के सुयोग्य अधिवक्ता को गौर से सुना गया। पत्रावली का भलीभांति अवलोकन किया गया।

कलक्टर
शाहपुरा

7. उभय पक्ष को सुनने व पीठासीन अधिकारी की टिप्पणी के अवलोकन से परिलक्षित होता है की अधीनस्थ न्यायालय के समक्ष प्रार्थिया द्वारा दिनांक 15.06.2020 को आदेश 1 नियम 10 सी.पी.सी. का प्रार्थना पत्र प्रस्तुत किया गया है। प्रार्थिया अधीनस्थ न्यायालय में विचाराधीन प्रकरण मे अभी तक पक्षकार नहीं बनी है और आदेश 1 नियम 10 सी.पी.सी. की बहस हेतु भी प्रार्थिया द्वारा ही बार बार अवसर चाहा जा रहा है, जो उचित नही है। सहायक कलक्टर (फास्ट ट्रैक) शाहपुरा के पीठासीन अधिकारी द्वारा प्रकरण में ऐसी कोई कार्यवाही अमल में नहीं लाई गई है, जिससे उक्त प्रकरण को अन्यत्र स्थानान्तरण किया जावे। प्रार्थी द्वारा पीठासीन अधिकारी पर लगाये गये आरोपों की पुष्टि नहीं होती है। फलस्वरूप मुन्तकिल प्रार्थना पत्र खारिज किया जाता है।

8. निर्णय की प्रति पालनार्थ हस्व कायदा न्यायालय सहायक कलक्टर (फास्ट ट्रैक) शाहपुरा को प्रेषित हो। पत्रावली नम्बर से कम हो कर शुमार फैसल हो।

9. निर्णय आज दिनांक 11.04.2022 को सरे इजलास सुनाया गया ।

(सजन विशाल)
जिला कलक्टर
जयपुर